

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021 — फाल्गुन 3, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना
संख्या 57/2020—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-04/2021/वाक/पांच (12).— सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 76/2018—राज्य कर क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(123) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 523 तारीख 31 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो कि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित शर्त के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय राज्य कर कि राशि शून्य है:

परंतु यह भी कि उन करदाताओं के लिए जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि नियत तारीख तक मई, 2020 से जुलाई, 2020 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआरदृ3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय राज्य कर कि राशि शून्य है।”।

2. यह अधिसूचना 25 जून 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-04/2021/वाक/पांच (12).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-04/2021/वाक/पांच (12), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

-NOTIFICATION
No. 57/2020 – State Tax

No. F 10-04/2021/CT/V(12).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification No. 76/2018-State Tax, No. F-10-65/2018/CT/V(123), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 523, dated the 31st December, 2018-

In the said notification, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided also that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil:

Provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil.”.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25th day of June, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.